

प्रेषक,

श्री एस.आ. लाखा,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष

जिला नगरीय विकास अभिकरण,

उत्तर प्रदेश।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग,

लखनऊः दिनांक—१८ मार्च, २०००

महोदय,

अवगत है कि नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न केन्द्र पुरोनिधानित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु जिला आच्छादन योजना के लिए शासनादेश संख्या : ७०६ / ६९.१.२००.१ (एस.जे.) / ९७ दिनांक १९ फरवरी, २००० द्वारा विस्तृत दिशा—निर्देश भेजे जा चुके हैं। आशा की जाती है कि उक्त निर्गत शासनादेश के शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुसार २०००-२००१ की कार्य योजना तैयार कर ली गयी होगी। अपेक्षा की जाती है कि सभी जनपदों की वार्षिक योजना ३१.०३.२००० तक तैयार कर ली जायेगी एवं अप्रैल, २००० में तैयार कार्ययोजना की एक-एक प्रति शासन एवं सूडा को उपलब्ध करा दी जायेगी।

१. उपयुक्त निर्गत शासनादेश दिनांक १९.२.२००० के पृष्ठ—४ के बिन्दु—२ स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम शीर्ष की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि योजनान्तर्गत समस्त प्रशिक्षण कार्यक्रम भारत सरकार के दिशा—निर्देशानुसार शासन द्वारा संचालित प्रशिक्षण केन्द्र जैसे—आई.टी.आई. पालीटेक्निक, श्रमिक विद्यापीठ, इंजीनियरिंग कालेज, नेहरू युवा केन्द्र और उपर्युक्त सरकारी प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के ही माध्यम से कराया जाना सुनिश्चित करायें।

कृपया तदनुसार समयान्तर्गत वार्षिक कार्य योजना तैयार कर, उपलब्ध कराने तथा योजनान्तर्गत लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष (नाम से)

(एस.आर. लाखा)

सचिव

सं०-११०३ / ६९.१.२०००-१ (एस०जे०) / ९७ तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

१. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
२. समस्त परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
३. गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से

(एस.आर. लाखा)

सचिव